Revised RR-Electrician G.S.R NO. 120 dt. 6/10/2021

रजिस्ट्री सं. डी.एल. (एन) 04/0007/2003—05

REGD. NO. D. L. (N) 04/0007/2003—05

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सत्यमेव जयते

सी.जी.-डी.एल.-सा.-25102021-230692
CG-DL-W-25102021-230692

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 34] **नई दिल्ली, अक्तूबर 10 - अक्तूबर 16 , 2021, शनिवार/ आश्विन 18- आश्विन 24, 1943**
No. 34] **NEW DELHI, OCTOBER 10 - OCTOBER 16, 2021, SATURDAY/ ASVINA 18 - ASVINA 24, 1943**

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पृथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

गृह मंत्रालय

(न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय)

नई दिल्ली, 27 सितम्बर, 2021

सा.का.नि.114.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो, अनुसचिवीय (समूह -ख पद) भर्ती नियम 1976 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय एवं इसकी बाहरी इकाइयो में सहायक, (समूह ख पद) पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थातः-

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 120.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन (इलेक्ट्रिशियन) भर्ती नियम, 1989 को, जहां तक उनका संबंध इलेक्ट्रिशियन के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में इलेक्ट्रिशियन के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, इलेक्ट्रिशियन (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह उस व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछडे वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन पद है या अचयन पद
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
इलेक्ट्रिशियन	1* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह-'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-2 (19,900 – 63,200 रु.)	लागू नहीं होता

सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधी भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति / आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
18 से 27 वर्ष के बीच (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार विभागीय उम्मीदवारों के लिये आयु-सीमा शिथिल करके चालीस वर्ष तक की जा सकती है ।) **टिप्पण 1:** आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियत की जाएगी [जहां भर्ती कर्मचारी चयन आयोग के माध्यम से नहीं है, आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख भारत में अभ्यार्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिये नियत की गई अंतिम तारीख होगी ।(न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चंबा-जिले के पांगी उपखंड, केन्द्र शासित प्रदेश लद्दाख, अण्डमान और निकोबार द्वीप और लक्षद्वीप के अभ्यार्थियों के लिये विहित की गई है ।)]	**आवश्यक अर्हताएं :** (i) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/ विश्वविद्यालय से 12वीं पास या समतुल्य । (ii) किसी केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित प्रशिक्षण संस्थान से इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट सर्टिफिकेट या डिप्लोमा कोर्स । (iii) सरकारी विद्युत निरीक्षक से इलेक्ट्रिकल मैकेनिक की योग्यता का प्रमाण पत्र । (iv) किसी भी प्रतिष्ठित फर्म या संगठन से विद्युत उपकरणों/ अधिष्ठापनों के संचालन और रखरखाव में न्यूनतम तीन वर्ष का व्यवहारिक अनुभव । **लिखित परीक्षा :** भारतीय इलेक्ट्रिसिटी नियम के अनुसार विभिन्न उच्च तनाव और कम तनाव बिजली के उपकरणों; केबल जोड़ना, सुरक्षा विनियम और शॉक उपचार आदि, और विभिन्न बिजली के उपकरणों से ज़ुड़े वायरिंग आरेखों को पढ़ने की क्षमता, अग्निशमन, फायर अलार्म, लिफ्ट, सेंट्रल एयर कंडीशनिंग प्लांट, परिवर्तनशील रेफ्रिजरेंट फ्लो एयर कंडीशनिंग सिस्टम, विंडो/स्प्लिट एयर कंडीशनिंग और अन्य नवीनतम मॉडर्न इलेक्ट्रो-मैकेनिकल अधिष्ठापन/ उपकरण जैसे ग्रिड कनेक्टेड सोलर फोटो वोल्टाइक सिस्टम/ पैनल आदि में बुनियादी ज्ञान । **टिप्पण 1** : कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के	लागू नहीं होता	दो वर्ष	सीधी भर्ती

	विवेकानुसार, अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में अर्हताओं को शिथिल किया जा सकता है। **टिप्पण 2** : अनुभव संबंधी अर्हताएं कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती हैं जब चयन के किसी प्रक्रम पर कर्मचारी चयन आयोग/ सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।			

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति /आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियां में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।
(11)	(12)	(13)
लागू नहीं होता	**समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टिकरण पर विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे :-** (i) विभागाध्यक्ष या संयुक्त निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - अध्यक्ष; (ii) उप निदेशक, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य; (iii) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी या कार्यालय का प्रधान, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन - सदस्य ।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[फा. सं. एसएम/ 02/06/2020]

अनीता धादरा, अवर सचिव

New Delhi, the 6th October, 2021

G.S.R. 120.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Atlas and Thematic Mapping Organisation (Electrician) Recruitment Rules, 1989, in so far as it relates to the post of Electrician, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Electrician in the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Department of Science and Technology, Ministry of Science and Technology, namely:-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Atlas and Thematic Mapping Organisation, Electrician (Group 'C' Post) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in pay matrix. — The number of said post, its classification and level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc. – The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification. – No person, –

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax. — Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, and for reasons to be recorded in writing, and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving. — Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, the Ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in pay matrix	Whether selection post or non-selection post	Age limits for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Electrician	1* (2021) *Subject to the variation dependent on workload	General Central Service, Group-'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-2 in the pay matrix (Rs.19,900-63,200)	Not applicable.	Between 18 and 27 years. (Relaxation for departmental candidates upto 40 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). **Note** : The crucial date for determining the age limit shall be the date as fixed by the Staff Selection Commission [where recruitment is not through Staff Selection Commission, the crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Lahaul & Spiti district and Pangi Sub Division of Chamba district

					of Himachal Pradesh, Union Territories of Ladakh, Andaman & Nicobar Islands and Lakshadweep)].

Educational and other qualification required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(7)	(8)	(9)	(10)
Essential Qualifications : (i) 12^{th} Class pass or equivalent from a recognised Board/ University. (ii) Industrial Training Institute certificate or Diploma course in Electrician trade from any Central Government or State Government approved training Institute. (iii) Electrical Mechanic certificate of competency from Government Electrical Inspector. (iv) Minimum Three years' practical experience in Operations and Maintenance of electrical equipments/installations from any reputed firm or Organization. **Written test:** On different High Tension and Low Tension electrical appliances; cable joining, safety regulations as per Indian Electricity Rules and shock treatment etc., and ability to read wiring diagrams associated with different electrical appliances, basic knowledge in fire-fighting's, fire alarm, lift, central air-conditioning plant, Variable Refrigerant Flow Air Conditioning systems, windows/split Air Conditioning and other latest modern electro-mechanical installations/equipments like grid connected solar photo voltaic systems/panels etc. **Note 1:** Qualifications are relaxable at the discretion of Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates otherwise well qualified. **Note 2** : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Staff Selection Commission/ Competent Authority in the case of candidates belonging to the Scheduled	Not Applicable	Two Years	Direct Recruitment

Castes or the Scheduled Tribes if at any stage of selection the Staff Selection Commission/ Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.			

In case of recruitment by Promotion or by deputation/ absorption grades from which promotion or deputation/ absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Not Applicable	**Group-'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of:-** (i) Head of Department or Joint Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation -Chairman; (ii) Deputy Director, National Atlas & Thematic Mapping Organisation -Member; (iii) Senior Administrative Officer/ Head of Office, National Atlas & Thematic Mapping Organisation -Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

[F. No. SM/02/06/2020]

ANITA DHADRA, Under Secy.

नई दिल्ली, 6 अक्तूबर, 2021

सा.का.नि. 121.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, (ज्येष्ठ निजीसहायक) भर्ती नियम,1991 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन में निजी सचीव के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाते हैं,
अर्थात् :-

1.संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय, राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन, निजी सचिव (समूह 'ख' पद) भर्ती नियम, 2021 है |

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे |

2. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनका वेतन मैट्रिक्स में स्तर या वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि.—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.—वह व्यक्ति –

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है , विवाह किया हैं,या विवाह की संविदा की है या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है